<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।</u>

<u>उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा</u>

परिवाद संख्या– 1250/2025

रीना यादव **–बनाम–** प्रवेन्द्र सिंह आदि

<u>27.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना गया।

संक्षेप में परिवादिया का कथन है कि "प्रार्थिया रीना यादव पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बलीदादपुर नगला झड्डू थाना शकरौली जिला एटा की रहने वाली है। प्रार्थिया के ससुर राजन सिंह पुत्र खचेर सिंह रिटायर्ड अध्यापक है, जो प्रार्थिया के पास रहते हैं जिनकी प्रार्थिया व उसके पति देख रेख व सेवा करते हैं। पूर्व से रंजिश मानते चले आ रहे प्रार्थिया के परिवारीजन प्रवेन्द्र पुत्र राजन सिंह, प्रेमलता पत्नी प्रवेन्द्र, दिलीप कुमार, शीलेन्द्र पुत्रगण राजन , साधना देवी पत्नी दिलीप कुमार, किरन देवी पत्नी शीलेन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम बलीदादपुर थाना शकरौली जिला एटा दि॰ 13.07.2025 को समय करीब 12 बजे दिन प्रार्थिया के नये मकान बम्बा के पास लाठी डण्डा व नाजायण असलाह लेकर घर के अन्दर घुस आये, जहां प्रार्थिया मकान की साफ सफाई कर रही थी प्रार्थिया के साथ गाली गलौज करने लगे। प्रार्थिया ने गाली देने से मना किया इसी बात पर उत्तेजित होकर सभी लोगों ने लात घूसों व थप्पडों से मारपीट की। प्रवेन्द्र, दिलीप व शीलेन्द्र ने बदनीयती से प्रार्थिया को पकड़कर जमीन पर गिरा लिया और बेजत्ती करनी चाही और घर में रखे सामान कूलर, फ्रिज, वर्तन, चारपाई आदि की तोडफोड की। चीख पुकार पर प्रार्थिया के ससुर राजन सिंह पुत्र जैवेर सिंह, व पति वीरेन्द्र व अन्य गांव के काफी लोग मौके पर आ गए जिन्होंने घटना देखी व बचाया। जाते वक्त भी उपरोक्त लोगों ने भविष्य में जान से मारने की धमकी दी और प्रवेन्द्र व दिलीप व शीलेन्द्र ने कहा कि आज तो साली बच गयी है दुबारा तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रार्थिया उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में शिकायत करने थाना शकरौली गयी, जहां दरोगा जी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया किन्तु उन्होंने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। फिर प्रार्थिया द्वारा एटा आकर एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक्षक एटा को दिनांक 18.07.2025 को वजरिये रजिस्ट्री/दस्ती दिया जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही न होने पर यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है।

परिवाद के समर्थन में परिवादिया ने स्वयं को धारा 223 बी०एन०एस०एस० में एवं साक्षीगण पी०डब्लू० 1 वीरेन्द्र सिंह एवं पी०डब्लू० 2 राजन सिंह को धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत परीक्षित कराया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति मय रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

साक्षीगण के बयान अंकित किये जाने के उपरान्त विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये थे। विपक्षीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किये गये, जिस पर विपक्षीगण की ओर से जबाव कागज सं० 15 ब प्रस्तुत कर कथन किया कि मुकद्दमा उपरोक्त मै लगाए गए सभी आरोप

बेबुनियाद है व झूठे हैं जो केवल प्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए लगाए गए हैं। वादी मुक़द्दमा के दायर प्रार्थना पत्र की मद 3 लगायत 6 मे लगाए गए आरोप बिल्कुल असत्य है केवल प्रार्थीगण को परेशान करने व संपत्ति हड़पने की नीयत से लगाए गए हैं। मुकद्दमा वादिया प्रार्थीगण की संगी भाभी है जिसके द्वारा यह झूठा मुकद्दमा लिखवाया गया है। सही बात यह है कि उक्त दर्शाई गई घटना केवल प्रार्थीगण के पिता/ससुर की संपत्ति हड़पने का लिए झूठी बनाई गई है। दोनों पक्षो के मध्य संपत्ति बटवारे को लेकर आए दिन क्लेश और कहा सुनी होती रहती है जिसमे पिता राजन सिंह द्वारा एक पक्षीय निर्णय मुकद्दमा वादिया रीना यादव के हक़ मे लिए जाते है। उक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है दोनों गवाह मे से एक वादिया के पति है तथा एक ससुर है जो वादिया के साथ ही उसके घर मै रहते है और संपत्ति हड़पना चाहते है। यह कि वादिया रीना, उसके बेटे मोंटी तथा उसके पति वीरेंद्र के द्वारा दिनांक 30–03–2026 को मारपीट की थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी शीलेन्द्र के द्वारा थाना सकरौली पर दर्ज करवाई जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त FIR से क्षुब्ध होकर वादिया के ससुर राजन सिंह के द्वारा एक झूठा मुकद्दमा माननीय न्यायालय मे दिनांक 08–04–2026 को दायर कर दिया। आए दिन वादिया रीना, पति वीरेंद्र व ससुर राजन झूठे मुकद्दमों में फंसा कर जान से मारने की धमकियां देते हैं और दर्ज FIR को वापस लेने फैसला करने का दबाव बनाते हैं। थाना पुलिस द्वारा दायर की गई आख्या मै भी उक्त घटना का झूठा होना पाया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण आपस में सगे संबंधी एवं परिवारीजन है। विपक्षीगण एवं परिवादिया के मध्य झगड़े चल रहे हैं। विपक्षीगण परिवादिया के सगे देवर, देवरानी एवं जेठ जिठानी है। उभय पक्षों के मध्य सम्पत्ति को लेकर विवाद है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से वैमनस्य एवं तनावपूर्ण संबंध विद्यमान हैं। न्यायालय इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि मात्र पूर्व रंजिश अथवा मुकदमेबाजी होने की बजह से किसी अभियोजन को स्वतः असत्य सिद्ध नहीं करता, किन्तु यह भी विधिक सिद्धांत है कि जब पक्षकारों के मध्य दीर्घकालीन सम्पत्ति विवाद एवं न्यायालयीन मुकदमेबाजी चल रही हो, तब एक-दूसरे के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व है कि उपलब्ध साक्ष्य का अत्यंत सावधानी, सतर्कता एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण से परीक्षण करे।

परिवादिया द्वारा अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि इस मुकदमे से पूर्व भी उसके पति के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि परिवादिया द्वारा (counter Blast complaint) करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र में विपक्षी सं० 1, 2 व 3 के द्वारा जमीन पर गिराने तथा बेजत्ती करने का प्रयास किये जाने का कथन किया गया है, जबकि अपने बयान में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया है कि उसके कपड़े फाड़ दिये गये तथा पूछे जाने पर किसने फाड़े तो कथन किया है कि सबने मिलकर फाड़े हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी समाज में महिला के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो वह स्पष्ट रूप से अपना कथन करती है, जबकि परिवादिया ने ऐसा नहीं किया है। परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र में जमीन पर गिराने एवं बेजत्ती करने का कथन

किया गया है और अपने बयान में कपड़े फाड़ने का कथन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से घटना का विरोधाभाष प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त परिवादिया द्वारा बेजत्ती करने को लेकर विपक्षी सं० 1, 2 व 3 का कथन किया है और न्यायालय के समक्ष पूछे जाने पर सभी के द्वारा कपड़े फाडने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादिया द्वारा अपने ही परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है तथा न्यायालय को यह भी प्रतीत होता है कि परिवादिया द्वारा जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया है कि आपस में मुकदमेंबाजी चल रही है तथा मनगढंत कहानी बनाकर न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया है।

परिवादिया द्वारा धारा 225 बी०एन०एस०एस० में अपने पति वीरेन्द्र का बयान अंकित कराया गया है, जो कि घठना का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसके द्वारा कथन किया गया है कि उसकी पत्नी के साथ विपक्षीगण मारपीट कर रहे थे तथा विपक्षी सं० 1,2 व 3 द्वारा बदनियती से पकड़कर जमीन पर गिरा लिया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि परिवादिया के पति ने स्वंय को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया है, जबकि परिवादिया ने द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि उसके चिल्लाने पर पति व ससुर आ गये थे, उन्हें देखकर विपक्षी भाग गये। इस प्रकार यहाँ पर पति एवं पत्नी के ही बयानों में विरोधाभाष नजर होना प्रतीत होता है। साथ ही परिवादिया के पति ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० के बयान में कपड़े फटने जैसा कोई भी जिक्र नहीं किया है, जो कि स्वतः नजरअंदाज किया जाना वैद्य नहीं है, क्योंकि यदि किसी की पत्नी के साथ ऐसा कृत्य कारित किया जाता है तो वह न्यायालय के समक्ष अवश्य ही कपड़े फाड़े जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से स्वंय के बयान में कथन करेगा। परन्तु इस घटना पर परिवादिया के पति के कथनों में मुख्य घटना (कपड़े फाड़ने) का लोप है, जो कि पूरी ही घटना को मनगढंत एवं बढ़ चढ़ाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षीगण द्वारा परिवादिया के साथ मारपीट की गई तथा उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। यदि उक्त घटना परिवाद में वर्णित तरीके से घटित हुई होती, तो परिवादिया द्वारा तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना अपेक्षित था, जिससे उसे आई चोटों का प्रमाण उपलब्ध हो सकता था। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिया ने न तो अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया है और न ही किसी चिकित्सक द्वारा जारी चोट संबंधी प्रमाण पत्र अथवा अन्य चिकित्सकीय अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मारपीट के आरोप के समर्थन में कोई स्वतंत्र चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिवादिया द्वारा न तो चिकित्सीय परीक्षण कराने का कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही ऐसा कोई अन्य वस्तुनिष्ठ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसे घटना के दौरान कोई चोटें आई थीं। ऐसी स्थिति में मारपीट के आरोप का समर्थन केवल परिवादिया एवं उसके हितबद्ध साक्षियों के मौखिक कथनों तक सीमित रह जाता है। मारपीट के आरोप इस स्तर पर मैडीकल प्रपत्रों के अभाव में पर्याप्त रूप से पुष्ट प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार परिवादिया के साथ मारपीट के संबंध में लगाया गया आरोप भी पूर्ण रूप से साबित नहीं होता तथा किसी प्रकार से मारपीट का आरोप का समर्थन नहीं करता है।

अतः मामलें के तथ्यों व परिस्थितियों, उपरोक्त विश्लेषण तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रश्नगत परिवाद में विपक्षीगण को तलब करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति प्रथमदृष्टया विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Pepsi Foods Ltd. vs. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749,** में यह अवधारित किया गया है किः– Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course. It is not that the Magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning of the accused. The Magistrate has to carefully scrutinise the evidence brought on record and may even himself put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of the allegations or otherwise and then examine if any offence is prima facie committed by all or any of the accused." परिवाद साक्ष्य के अभाव में धारा 226 बी०एन०एस० के अंतर्गत निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

परिवादिया का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी०एन०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचयित हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
जलेसर, एटा।
(J.O. Code UP 4823)

दिनांक 27.07.2026